उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 174/2018/3075/92-2-18-138जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 06 दिसम्बर,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद महाराजगंज में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में विकास खण्ड- घुघली में पिपरा ब्राहमन उर्फ बारी गांव में महुआरी में मधुवन के घर तक कुशहर के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य की अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-गोरखपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06-05-2017 में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 3,22,152.12 के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-194/ 2017/1854/92-2-17-138जांच/16 दि0 31-10-2017 द्वारा श्री अनूप कुमार गुप्ता, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महाराजगंज के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल मण्डल को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-विन्ध्याचल मण्डल के पत्र सं0 -223/ग्रा0अ0वि0/जांच/17-18 दि0 26-05-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1314/92-2-18-138जांच/16 दि0 18.06.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या प्रेषित करते हुये श्री अनूप कुमार गुप्ता से उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दि0 25-07-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि परिलक्षित शासकीय क्षति संबंधित ठेकेदारों द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति अतर्निहित नही रह गयी है परन्तु अपचारी अधिकारी, श्री अनूप कुमार गुप्ता अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने तथा शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री अनूप कुमार गुप्ता का दि0 29-09-2018 को देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/98 दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्थानुसार "मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एक तरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अत: मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी" के क्रम में श्री अनूप कुमार गुप्ता के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-10-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-174/2018/3075/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अनूप कुमार गुप्ता, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, के उत्तराधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।